

अनिवार्य शिक्षा

2389. श्री अरजित जोगी :

श्री राजूभाई ए० परमार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या कितनी है जहाँ शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में कोई नई योजना आरंभ करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 14 राज्यों तथा 4 संघशासित प्रदेशों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाए हैं ।

(ख) जी नहीं, केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) चूंकि शिक्षा को अनिवार्य बनाने संबंधी निर्णय स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है अतः इस विषय में राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को निर्णय लेना चाहिए ।

Central University in Orissa

2390. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any request for setting up of a Central University in Orissa and/or for bifurcating the Utkal University; and

(b) the details of steps taken/proposed to be taken to set up a Central University in Orissa?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) proposal to establish a Central University in North Orissa received by the Government was referred to UGC for its views. According to the information furnished by UGC, the matter was considered by the Commission at its meeting held on 18-11-1991. The Commission was not in favour of the proposal in view of the constraint of financial resources.

Government had received a proposal from Orissa Government in January, 1991 for converting Utkal University into a Central University. The State Government was informed that Utkal University has been established under an Act of the State Legislature of Orissa and as a matter of policy, the Central Government do not convert State Universities into Central Universities.

एन० सी० ई० आर० टी० कम्प्यूटर स्कीम

2391. श्री रणजीत सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1991 को "स्टेट्समैन" में "एन. सी० ई० आर० टी० कम्प्यूटर स्कीम फेल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि "कम्प्यूटर लिट्रेसी एण्ड स्टडीज प्रोग्राम" नामक योजना 1984-85 में कुछ विद्यालयों में क्रियान्वित की गई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो उन विद्यालयों की संख्या कितनी है जहाँ यह योजना आरम्भ की गई थी तथा वित्त वर्ष 1990-91 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि खर्च की गई ;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के क्रियान्वयन में हुई अनेक अनियमितताओं

की जानकारी है, यदि हां, तो उनका पूर्ण व्यौरा क्या है और सरकार ने अब तक प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की है ; और

(ड) उन स्कूलों की संख्या कितनी है जहां पर 1991-92 के शैक्षणिक सत्र के दौरान यह योजना आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विभाग प्रश्न में दिए गए समाचार से वाकिफ है ।

(ख) और (ग) स्कूलों में कम्प्यूटर लिट्रेसी एण्ड स्टडीज (सी०एल०ए०एस०ए०) परियोजना इलेक्ट्रानिक विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 1984-85 के दौरान प्रायोगिक आधार पर 248 स्कूलों में शुरू की गई थी । यह परियोजना एक वर्ष से एक वर्ष के आधार पर 2598 स्कूलों को शामिल करते हुए 1989-90 तक विस्तारित की गई । वर्ष 1990-91 तक कोई नया स्कूल शामिल नहीं किया गया । इस परियोजना के लिए 1990-91 तक 3834.25 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है ।

(घ) विवरण संलग्न है । (नीचे देखिए)

(ड) वर्ष 1991-92 में नए स्कूलों को शामिल किए जाने की संभावना नहीं है ।

विवरण

एन० सी० ई० आर० टी० कम्प्यूटर स्क्रीन स्कूलों में कम्प्यूटर लिट्रेसी एण्ड स्टडीज (सी०एल०ए०एस०एस०) परियोजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं नहीं हैं । तथापि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट में इस परियोजना के कार्यान्वयन में कुछ कमियों को बताया है । उक्त रिपोर्ट 1991 की सं० 11—संघ सरकार (स्वायत्तता निकायों के अलावा) को को 14 सितम्बर, 1991 को संसद में सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है । रिपोर्ट में बताई गई मुख्य कमियां और उन पर की गई कार्यवाही कार्यान्वयन अभिकरणों की रिपोर्ट के अनुसार नीचे दी गई है ।

बताई गई कमियां

(1) एन०सी०ई० आर०टी०, सी०एन०सी० और सी०एल०एल० के साथ राशि का प्रयोग न किया जाना ।

(2) राज्य सरकारों द्वारा चुने गए स्कूलों को आकस्मिक अनुदान का सविवरण न किया जाना और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रयुक्त प्रमाण पत्रों का प्राप्त न होना । राज्यों द्वारा उन स्कूलों को आकस्मिक अनुदान मुक्त किया जाना जहां पर लोहे का सामान अभी तक भी स्थापित नहीं किया गया है अथवा जहां पर कक्षाएं नहीं लगाई जा रही हैं ।

(3) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आकस्मिक निधि का प्रयोग न किया जाना ।

(4) कुछ संसाधन केन्द्रों से एन. सी.ई.आर.टी. द्वारा खाने का लेखा परीक्षा विवरण का प्राप्त न होना ।

(5) विद्यार्थियों का न्यूनतम नामांकन ।

(6) लोहे के सामान की स्थापना में विलंब का होना ।

(7) लोहे के सामान का खराब रखवाव ।

(8) सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिए एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित कार्यविधि को ध्यान में न रखा जाना ।

(9) स्कूलों को सॉफ्टवेयर पैकेटों की आपूर्ति में असमानता ।

(10) मूल मानदण्डों की अधिकता में स्कूलों की संसाधन केन्द्रों के साथ जोड़ना ।

(11) कुछ चुने हुए स्कूलों द्वारा कार्यक्रमों में भाग लेने में अरुचि दर्शाना ।

(12) मोनिटरिंग की समुचित व्यवस्था न होना ।

रिपोर्ट में दर्शाई गई छुट्टियों को एन०सी०ई०आर०टी० (सोफ्टवेयर विकास के लिए मुख्य एजन्सी, एकेडेमिक सपोर्ट और शिक्षक प्रशिक्षण), इलेक्ट्रॉनिक विभाग (परियोजना का मुख्य मंत्रालय और कम्प्यूटर मैनटेनेंस कापॉरेशन (सी० एम०सी०) लि० (एक सार्वजनिक सैक्टर उपक्रम)—(जो हार्डवेयर की अधिप्राप्ति, स्थापना और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है) के ध्यान में लाया गया है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। इन अभिकरणों को सूचित किया जा चुका है कि उपर्युक्त पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा चुकी है।

(1) 1989-90 तक सी.एम.सी. 809 लाख रु० में से 685 लाख रुपए की राशि का प्रयोग किया गया और शेष 124 लाख रुपए की राशि सी.एम.सी. के पास हार्डवेयर के रख-रखाव के लिए उपलब्ध है।

1.1 1989-90 तक एन.सी.ई. आर.टी. के पास कुल 154.91 लाख रुपए की राशि जो प्रयोग न की गई थी। वर्ष 1990-91 के दौरान 49.21 लाख रुपए की राशि उपयोग की गई। शेष राशि को परियोजना के अन्तर्गत जारी क्रियाकलापों के लिए प्रयोग में लाया जा रही है।

1.2 इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा एस. सी.एल. को दी गई कुल राशि 464.31 लाख रुपए में से 9.51 लाख रुपए की अप्रयुक्त राशि को अतिरिक्त माइक्रो-कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(2) चुने गए स्कूलों को आकस्मिक अनुदानों के संवितरण न किए जाने और प्रयुक्त प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने के बारे में राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास अब खर्च न की गई शेष धनराशि केवल 38,961 रुपए है जो 'चालू वित्तीय वर्ष में प्रयोग कर लिया जाएगा।

(4) 33.03 लाख रुपए की शेष राशि के अन्तर्गत एन.सी.ई.आर.टी. ने संसाधन केन्द्रों से 18.52 लाख रुपए के लिए लेखों के लेखा परीक्षा विवरण प्राप्त कर लिए हैं। एन.सी.ई.आर.टी. लेखों के शेष विवरणों को राज्य के क्षेत्रीय सलाहकारों के माध्यम से खर्च कर रहा है।

(5) सी.एल.ए.एस.एस. परि-योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर लिटरेजी को स्कूल के पाठ्यक्रम का भाग नहीं था। विज्ञानगणित शिक्षकों को संभवतः स्कूल समय के बाद इनकी हिदायत दी गई थी। परियोजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर के लिए अलग से निर्देशक नहीं रखे गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नामांकन में कमी आई।

(6) 31 मार्च, 1991 तक, 8271 सिस्टम में से 6392 का संचालन किया गया था। सी०एम०सी० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार संसाधन केन्द्रों से सुपुर्दगी के पश्चात् स्कूलों में कम्प्यूटरों का विलम्ब से लगाना जाना संबंधित स्कूलों के तैयार न होने के कारण था। तथापि, सी०एम०सी० संसाधन केन्द्रों को डिनेटर्स और राज्यों के मुख्य अधिकारियों से, लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि शेष स्कूलों में तीव्रगति से कम्प्यूटरों की स्थापना की जा सके।

(7) हार्डवेयर यूनिटों का रख-रखाव संसाधन केन्द्रों (आर.सी.) पर किया जाता है। स्कूलों द्वारा अपनी खराब/अपूर्ण यूनिटों को संसाधन केन्द्र पर लाना तथा प्रतिवस्तु एकत्र करना अपेक्षित है। जब भी दोषों की सूचना दी जाती है कार्रवाई की जाती है।

(8) स्कूलों तथा संसाधन केन्द्रों में प्रयोग के लिए विभिन्न विषयों में सोफ्टवेयर पैकेजों की खरीद, इस उद्देश्य के

लिए रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा स्थापित उच्चाधिकार प्राप्त तकनीकी खरीद समिति निश्चित की जाती है। सिर्फ कुछ ही फर्मों के पास सोफ्टवेयर पैकेज हैं जो समिति द्वारा अनिवार्य समझे जाने वाली विनिर्देशनों को पूरा करती है। उपलब्ध पैकेज ज्यादातर स्वामित्व वस्तुएं हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। अतः एक ही निविदा को स्वीकार करना अपरिहार्य है। फ्लोपी मोडिया पर आयात बंधनों के कारण, रा.शै.अ.प्र.प. को फ्लोपी की लागत सहित सोफ्टवेयर की खरीद विक्रेताओं से करनी पड़ती है। ब्रिटिश सोफ्टवेयर सिर्फ उन्हीं फर्मों से स्वीकार किया जाता था जिनके पास ब्रिटेन में मालिकों के साथ समझौता के अधीन इनका उत्पादन करने का लाइसेंस रखते हैं।

(9) पैकेजों की आपूर्ति में एकरूपता की कमी परियोजना के कार्यान्वयन के बाद के वर्षों के दौरान सभी आयात किए गए पैकेजों की अनुपलब्धता के कारण थी। अब, जबकि कार्यक्रम को देशी रूप से विकसित सोफ्टवेयर तथा उपलब्ध आयात किए गए सोफ्टवेयर पर निर्भर करना है, सोफ्टवेयर की आपूर्ति में एकरूपता को बनाए रखना सम्भव होगा।

(10) संसाधन केन्द्रों की संख्या जो मूलतया 42 थी बढ़कर 60 हो गई है। संसाधन प्रतिबंधों के कारण, संसाधन केन्द्रों के नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार सम्भव नहीं हुआ है।

(11) कुछ चुने हुए स्कूलों की परियोजना में भाग लेने की अनिच्छा राज्य सरकारों के ध्यान में उपचारी उपाय करने के लिए ध्यान में ला दी गई है तथा स्कूलों का स्थानापन्न उनसे किया जा सके जो भाग लेने के इच्छुक हैं, जहां कहीं तथा जब भी आवश्यक हो।

(12) रा.शै.अ.प्र.प. ने अनु-वीक्षण प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

Preservation of Sites of Archaeological Importance in Madhya Pradesh

2392. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of sites of Archaeological importance have recently been found in the State of Madhya Pradesh;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether it is also a fact that many of such sites were already damaged by local people before the Archaeological Department stepped in;

(d) if so, to what extent the sites were damaged; and

(e) what action Government propose to take preserve the sites of Archaeological importance being found in the country?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. Sites of archaeological importance showing microlithic, neolithic, megalithic and early historical association including rock shelters with or without paintings have been recently discovered in Madhya Pradesh.

(c) and (d) Some Megalithic sites at villages Aroud, Bhawarmara and Lilar, District Raipur and at village Tengna, District Durg have been damaged due to quarrying and blasting for road making.

(e) The concerned authorities have been requested to take immediate preservative measures.

National Commission on School Teachers

2393. DR. R. K. PODDAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any Memorandum from